न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 258/2019

दायर दिनांक 02.12.2019

निर्णय दिनांक 08.04.2024

उनवान

1. हीरादास पुत्र नारायण दास, उम्र 35 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी बलाई बस्ती, भोपालगढ़, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बदाम पुत्री नारायणदास पत्नी लक्ष्मणदास, उम्र वयस्क निवासी बलाई बस्ती, भोपालगढ़, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. देउ बाई पुत्री नारायणदास पत्नी रामचन्द्र, उम्र वयस्क निवासी बलाई बस्ती भोपालगढ़, हाल निवासी उम्मेदनगर, ईटमारिया, उपरेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा राज0

विपक्षी

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी अम्बालाल कुमावत

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

—: निर्णय :—

दिनांक 08/04/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता नारायण दास कामड़ की मृत्यू दिनांक 13.12.2007 को ग्राम भोपालगढ़ में हो गई थी एवं प्रार्थीगण उनके विधिक वारिसान होकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री नारायणदास कामड़ के नाम ग्राम भोपालगढ़ में जमाबन्दी के खाता संख्या 363 के आराजी नम्बर 1936 रकबा 1.0300 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण के पिता नारायण दास के पिता का नाम अमरादास उर्फ अमरचन्द है। प्रार्थीगण के पिता के पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में भी यही नाम अंकित है। मृत्यू प्रमाण पत्र में भी अमरदास उर्फ अमरचन्द दर्ज होने एवं राजस्व रेकार्ड में मु0 कालू कामड़ अंकित है। जिसके कारण विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण अपने नाम पर कराने से वंछित हो रहे है। अतः प्रार्थीगण के पिता नारायण दास की वल्दीय मु0 कालू कामड़ दर्ज होने से विरोधाभास कायम हो गई है। अतः प्रार्थीगण के पिता नारायण दास की वल्दीय मु0 कालू कामड़ की जगह संशोधन करते हुए उनके प्राकृतिक पिता स्व0 अमरदास पुत्र अमरचन्द दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। विपक्षी का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थीगण के पिता नारायणदास की वल्दीय मुस्माद कालू कामड़ की जगह संशोधन करते हुए उनके प्राकृतिक पिता स्व0 अमरदास पुत्र अमरचन्द दर्ज कराए जाए।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। प्रार्थीगण ने पिता नारायणदास की वल्दीयद मुस्माद कालू कामड़ होना अंकित किया लेकिन इसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि प्रार्थीगण ने पहचान पत्र में निर्वाचन आयोग में हिरादास पुत्र नारायणदास एवं नाराण पिता अमरा का पेश किया। इसके साथ ही आधार कार्ड हिरादास पुत्र नारायणदास कामड़ का प्रस्तुत किया, परिवार राशन कार्ड नाराणदास पुत्र अमरदास कामड़ का प्रस्तुत किया। नारायणदास पुत्र अमरचन्द कामड़ की मृत्यू दिनांक 13.12.2007 की फोटोप्रति संलग्न की। बदाम पत्नी लक्ष्मणदास का आधार कार्ड एवं देव पत्नी रामचन्द्र का आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की लेकिन प्रार्थना पत्र में वर्णित नारायणदास की वल्दीय मु0 कालू कामड़ दर्ज होने की जमाबन्दी या अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, जिससे नारायणदास के पिता मु0 कालू कामड़ की बजाय अमरदास पुत्र अमरचन्द संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा